<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।</u>

परिवाद संख्या 292/2019

Com no 294/2019

राजरानी बनाम खूबलाल आदि।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र वास्ते उन्नमोचन अभियुक्तगण

<u>दिनांक- 04.02.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। आज उक्त पत्रावली अं० धारा 245 (2) दं०प्र०सं० बावत डिस्चार्ज/उन्मोचित किये जाने हुते नियत है जिस पर पूर्व मे विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि मुकदमा उपरोक्त परिवादिनी काफी समय से नही आ रही है, उसने कोई भी साक्ष्य अं० धारा 244 दं०प्र०सं० का प्रस्तुत नही किया है, जिस कारण प्रार्थीगण को इस मुकदमें से डिस्चार्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादिनी राजरानी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० व धारा 202 दं०प्र०सं० के साक्षीगण रामपाल व सोबरन के साक्ष्य अं० धारा 202 दं०प्र०सं० के आधार पर अभियुक्तगण खूबलाल, विश्वेशर, कमलेश, अमित कुमार ,ध्रुव कुमार तथा महावीर को न्यायालय द्वारा अं० धारा 147,323,504 भा०दं०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया, अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये एवं अपनी जमानते करायी तत्पश्चात पत्रावली धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवादी के साक्ष्य हेतु नियत की गयी परन्तु परिवादी की ओर से साक्ष्य अं० धारा 244 दं०प्र०सं० हेतु कोई उपस्थित नही आया, जिस कारण दिनांक 15.04.2017 को परिवादी का साक्ष्य अं०धारा 244 दं०प्र०सं० समाप्त कर पत्रावली चार्ज/डिस्चार्ज हेतु नियत कर दी गयी। पत्रावली पर परिवादी द्वारा धारा 244 दं०प्र०सं० में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभियुक्तगण खूबलाल, विश्वेशर, कमलेश, अमित कुमार ,ध्रुव कुमार तथा महावीर के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त न होने तथा अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अं०धारा० 245 (2) दं०प्र०सं० प्रस्तुत किये जाने पर, अभियुक्तगण को डिस्चार्ज करने की याचना को स्वीकार करना न्यायहित में आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का कोई आधार/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण खूबलाल, विश्वेशर, कमलेश, अमित कुमार ,ध्रुव कुमार तथा महावीर को धारा 147,323,504 भा०दं०सं० से उन्मोचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण खूबलाल, विश्वेशर, कमलेश, अमित कुमार ,ध्रुव कुमार तथा महावीर को अं०धारा 245 (2), धारा 147,323,504 भा०दं०सं० थाना सिंगाही जिला खीरी के मामले से उन्मोचित किया जाता है, तद्नुसार उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर प्रतिभूओं को दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर-खीरी
जे०ओ०कोड UP 2496